2011:सीजीएचसी:डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा</u>

<u>रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) क्रमांक 4353/2011</u>

आलोक कुमार द्विवेदी

<u>बनाम</u>

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश विचारार्थ प्रस्तुत</u>

हस्ताक्षरित

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

<u>माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति</u>

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

दिनांक 2-11-2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

रिट याचिका (बंदी प्रत्यक्षीकरण) क्रमांक 4353/2011

याचिकाकर्ता आलोक कुमार द्विवेदी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री रमेश चंद्र शुक्ला एवं श्रीमती आर.के. सिंह, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 6 की ओर से श्री एम.पी.एस. भाटिया, उपशासकीय अधिवक्ता।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

आदेश

(दिनांक 02 नवंबर, 2011 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता आलोक कुमार द्विवेदी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और स्वयं को मुक्त किए जाने के अनुतोष के साथ-साथ उत्तरवादियों/राज्य को उसे प्रतिकारात्मक व्यय का भुगतान करने हेतु निर्देश देने की मांग की हैं।

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता शिवानंद नगर, थाना खमतराई, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) का निवासी है और मूल रूप से ग्राम मानापुर, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। दिनांक 9-6-2011 को शाम 4 बजे, याचिकाकर्ता को थाना गोल बाजार, रायपुर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसी तिथि को, गिरफ्तारी के एक घंटे के भीतर, शाम 5 बजे, याचिकाकर्ता के पिता, अर्थात् वाद मित्र, द्वारा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) से टेलीग्राम (अनुलग्नक P-2) के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 2 से 6 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 5 या यहाँ तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़/उत्तरवादी क्रमांक 7 द्वारा उसकी गिरफ्तारी के समय से लेकर उसे जेल भेजे जाने तक, उसे उस अपराध के कारण, आधार या तत्व की जानकारी नहीं दी गई जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का कोई वारंट दिखाए या प्रकट किए बिना, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने रायपुर के खुले बाजार में उसके मित्र सोहन की उपस्थिति में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ता के मित्र सोहन ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में जानना चाहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे धमकाया गया, जिसके कारण वह वहां से भाग गया। गिरफ्तारी के बाद, याचिकाकर्ता को थाना गोल बाजार, रायपुर लाया गया, जहाँ उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। वहां भी, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को वे कारण या आधार नहीं बताए गए जिनके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 9-6-2011 से 10-6-2011 तक लगभग 20 घंटे के लिए थाना गोल बाजार, रायपुर में अभिरक्षा में रखा गया था। किसी भी न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्ररूप क्रमांक 2 के तहत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का कोई वैध वारंट जारी नहीं किया था। इस प्रकार, न्यायालय द्वारा जारी किसी वैध वारंट के बिना, याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के प्रावधान के उल्लंघन में दिनांक 9-6-2011 को गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता को पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और 50-क के प्रावधानों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50-क का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुरूप है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने में सक्षम बनाता है। यह एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है, और इसके अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है। उत्तरवादी क्रमांक 5, 6 और 7 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 और 50-क के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता का निरोध अवैध है और साथ ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है, इसलिए, याचिकाकर्ता की रिहाई के लिए उसके पक्ष में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। 10-6-2011 को, यानी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के अगले दिन, सोहन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के संबंध में थाना गोल बाजार, रायपुर से रिपोर्ट मंगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसी तिथि को, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर ने दिनांक 13-6-2011 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। दिनांक 13-6-2011 को, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर ने इसके पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 5 को दिनांक 14-6-2011 (अनुलग्नक P-3) को व्यक्तिगत रूप से अपने न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। दिनांक 14-6-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2011 को, उत्तरवादी क्रमांक 5 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उन्हें सूचित किया कि याचिकाकर्ता को थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ के प्रधान आरक्षक क्रमांक 216 द्वारा एक गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को रायपुर में गिरफ्तार किया गया था और उसे थाना गोल बाजार, रायपुर की अभिरक्षा में रखा गया था। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के सत्य के साथ-साथ उसकी गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान को छुपाया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा दिनांक 14-6-2011 को दर्ज की गई आदेश-पत्रिका से ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 78 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता रायगढ़ पुलिस द्वारा वांछित था लेकिन उसे रायपुर पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना रायपुर में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है। प्रधान आरक्षक किसी भी विधि के तहत याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत नहीं था क्योंकि उसके पास रायगढ़ से रायपुर आने और रायपुर में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार या विधिक शक्ति नहीं थी। किसी पुलिस अधिकारी को भी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादित किए जाने के लिए कोई वारंट निर्देशित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय सामान्यतः इसे पृष्ठांकन के लिए या तो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या एक पुलिस अधिकारी को भेजेगा जो उस थाना प्रभारी के पद से नीचे का न हो जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर वारंट निष्पादित किया जाना है। यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 और 81 के प्रावधानों का उल्लंघन है। गिरफ्तारी की कार्रवाई और प्रक्रिया अनुचित और द्वेषपूर्ण है। याचिकाकर्ता को दिनांक 10-6-2011 से 11-6-2011 तक थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ की अभिरक्षा में रखा गया था। दिनांक 11-6-2011 को दोपहर करीब 2 बजे याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के समक्ष पेश किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ ने उस अपराध के तत्व का खुलासा नहीं किया जिसके लिए याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया, इसलिए याचिकाकर्ता का निरोध अवैध है और उत्तरवादी क्रमांक 1 से 6 के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी किए जाने की आवश्यकता है।

3. श्री रमेश चंद्र शुक्ला एवं श्रीमती आर.के. सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41, 41-क, 41-ख, 41-ग, 41-घ, 46, 50, 50-क, 54, 56, 57, 60-क, 70, 74, 75, 78, 79, 80 और 81 के प्रावधानों के उल्लंघन में है, इसलिए, याचिकाकर्ता को मुक्त किया जाए। याचिकाकर्ता को आज तक गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने याचिका में उनके द्वारा लिए गए आधारों को ही अपने तर्कों के रूप में दोहराया। विद्वान अधिवक्ता ने ***जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 1994 एससी 1349; लल्लूभाई जोगीभाई पटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1981 एससी 728; अशोक एवं अन्य बनाम राज्य, 1987 क्रि.लॉ.ज. 1750 (मध्य प्रदेश); गोविंद प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1975 क्रि.लॉ.ज. 1249 (कलकत्ता); मधु लिमये एवं अन्य के मामले में, एआईआर 1969 एससी 1014 और बुद्ध सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1997 (35) एसीसी 110 (इलाहाबाद)*** पर अवलंबन लिया है।

4. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 6 के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, श्री एम.पी.एस. भाटिया ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाना चक्रधर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नगर, रायगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 408 और 420 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध क्रमांक 401/2009 दर्ज किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता फरार था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के समक्ष याचिकाकर्ता को फरार बताते हुए चालान पेश किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उक्त वारंट का निष्पादन दिनांक 10-6-2011 को रायपुर में किया गया था। याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के तहत एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर ने उस आवेदन को निष्फल हो जाने के कारण खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं बल्कि वैध है क्योंकि यह सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और रिट याचिका (एच.सी.) क्रमांक 3141/2011 दायर की थी, जिसे इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27-6-2011 के माध्यम से निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत विधिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437, 439 के साथ-साथ धारा 482 के तहत वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट की मांग करने वाली वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिवचनों के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/2011, राज्य बनाम आलोक द्विवेदी, धारा 406, 420 भा.दं.सं. के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/2011 के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाना चक्रधर नगर, जिला रायगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 408 और 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और दिनांक 29-11-2010 को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसे फरार बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के समक्ष उसके विरुद्ध चालान पेश किया गया था, जिसे आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1670/2010 के रूप में दर्ज किया गया था, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश दिया गया था और तत्पश्चात उक्त आपराधिक प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ (श्री शैलेंद्र चौहान) के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ आपराधिक प्रकरण क्रमांक 8/2011 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुनः दिनांक 24-2-2011, 17-3-2011, 19-4-2011 और 16-5-2011 को गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 11-6-2011 को गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के अनुसरण में, रिमांड ड्यूटी के दौरान याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया और उसके पश्चात याचिकाकर्ता को जेल भेज दिया गया। दिनांक 11-6-2011 को रिमांड ड्यूटी पर तैनात विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई आदेश-पत्रिका इस प्रकार है:—

> "अभियुक्त आलोक द्विवेदी (याचिकाकर्ता) को गिरफ्तार किया गया और थाना चक्रधर नगर के आरक्षक क्रमांक 461, संतोष सिदार द्वारा रिमांड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी वारंट के साथ पेश किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रदान करने हेतु कोई

आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जेल-वारंट तैयार किए जाने के पश्चात अभियुक्त को जेल में निरुद्ध किया गया।"

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट विधि के अनुसार जारी नहीं किया गया था। गिरफ्तारी का वारंट दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्ररूप क्रमांक 2 के तहत जारी किया जाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रधान आरक्षक को वारंट के निष्पादन में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क अस्वीकार्य है।

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(ण) में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी' को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. परिभाषाएं-इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

xxxx xxxx

xxxx

(ण) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है ;"

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50-क, 70 और 74 इस प्रकार हैं:

"50क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के

बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता-(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा ।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी ।

(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है ।

70. गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि-(1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है ।

74. पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट-किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है ।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(ण) और 74 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि एक प्रधान आरक्षक गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम है। वर्तमान मामले में, अनुलग्नक R-1 थाना प्रभारी, थाना गोल बाजार, रायपुर द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को प्रस्तुत दिनांक 13-6-2011 की एक रिपोर्ट है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी के वारंट की प्रति उसका हिस्सा है। गिरफ्तारी का मूल वारंट आपराधिक मामला संख्या 8/2011 के रिकॉर्ड में रखा गया है। गिरफ्तारी का वारंट दिनांक 17-5-2011 को जारी किया गया था और इसके निष्पादन के लिए दिनांक 18-5-2011 को हेड कांस्टेबल नंबर 216 को पृष्ठांकित किया गया था।

12. गिरफ्तारी का वारंट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की द्वितीय अनुसूची के प्ररूप संख्या 2 के अनुसार जारी नहीं किया गया है, बल्कि पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 75, 76 के तहत प्रारूप में जारी किया गया है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 70, 71 के अनुरूप है। हालांकि, उक्त

वारंट की विशिष्टियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार हैं। गिरफ्तारी के वारंट में पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धाराओं का मात्र उल्लेख करने से यह अवैध या विधिक रूप से दोषपूर्ण नहीं हो जाता है।

13. अब, हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या वर्तमान मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट जारी की जा सकती है।

14. **ए.के. गोपालन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, AIR 1966 SC 816** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि जिस तिथि को न्यायालय में आवेदन किया गया है उस तिथि को निरुद्ध किया जाना विधिक है या नहीं, यदि आवेदन की तिथि और सुनवाई की तिथि के बीच कुछ और घटित नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. एक व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश के माध्यम से जेल अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था जो प्रथम दृष्टया अधिकारिता विहीन प्रतीत नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को निरुद्ध करने की न्यायालय की शक्ति पर स्वतः ही संदेह नहीं किया जा सकता है। निरुद्ध किए जाने की वैधता का परीक्षण 'जवाब' के समय के संबंध में किया जाना चाहिए, न कि कार्यवाही संस्थित करने के समय। निरुद्ध करने का ऐसा आदेश जो पहले वैध नहीं था, अर्थात उस समय जब व्यक्ति को निरुद्ध किया गया था, यदि किसी अन्य कारण से वास्तव में वैध हो गया है, तो भी उस व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि निरुद्ध करने का आदेश अवैध है, किंतु बाद में वह विधिक हो जाता है, तो निरुद्ध व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करके मुक्त नहीं किया जा सकता है।

16. **निरंजन सिंह नथावन और अन्य बनाम पंजाब राज्य, AIR 1952 SC 106** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाहियों में न्यायालय को जवाब के समय निरुद्धि की

वैधता या अन्यथा पर ध्यान देना होता है, न कि कार्यवाहियों के संस्थित होने की तिथि के संदर्भ में, अतः दुर्भावना के प्रमाण के अभाव में, निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी अवैधता के रूप में चुनौती दिए गए निरुद्धि के पूर्व आदेश को अधिक्रमित कर सकता है और जहाँ भी संभव हो, एक नया आदेश पारित कर सकता है जो दोषों से मुक्त हो और उस संबंध में कानून की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करता हो। दुर्भावना का प्रश्न, यदि उठाया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के संदर्भ में तय किया जाना होगा, किंतु एक प्रकरण के संप्रेक्षणों को अन्य मामलों से निपटने में न्यायदृष्टांत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

17. **ए. लक्ष्मण राव बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पार्वतीपुरम और अन्य, AIR 1971 SC 186** में, पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 (जो वर्तमान संहिता की धारा 309 के अनुरूप है) के तहत प्रकरण को स्थगित करते समय अभियुक्त को रिमांड पर भेजने की विचारण न्यायालय की शक्ति पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब किसी प्रकरण को मुल्तवी या स्थगित किया जाता था और अभियुक्त अभिरक्षा में होता था, तो न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होता था कि रिमांड आदेश पारित करके उसे अभिरक्षा में रखा जाए या नहीं, और न्यायालय न तो रिमांड आदेश देने के लिए बाध्य था और न ही अभियुक्त व्यक्ति को रिमुक्त करने के लिए बाध्य था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि रिमांड के ऐसे आदेश न्यायिक विवेक के अधीन थे और विधि के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के भी अधीन थे, तथा रिमांड के आदेश के अनुसरण में निरुद्धि, जो उचित रूप से पुरानी संहिता की धारा 344 की शर्तों के अंतर्गत आती थी, तदनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण में चुनौती देने योग्य नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **संजय दत्त बनाम राज्य (सी.बी.आई. के माध्यम से), मुंबई, 1994 SCC Cri 1426** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जब 'रिटर्न ऑफ रूल' जवाब की तिथि पर अभियुक्त की रिमांड या निरुद्धि का एक वैध आदेश विद्यमान हो, तो इस आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग करने वाली याचिका कि 'रूल' जारी होने के समय रिमांड या निरुद्धि का कोई वैध आदेश नहीं था, खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि अभिरक्षा या निरुद्धि एक वैध आदेश के आधार पर थी। **कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग और अन्य, AIR 1974 SC 510** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब प्रदान नहीं की जा सकती जब किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश के माध्यम से जेल अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया हो जो प्रथम दृष्टया अधिकारिता विहीन या पूर्णतः अवैध प्रतीत नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, आपराधिक प्रकरण संख्या 8/2011 की दिनांक 29-6-2011 की आदेश-पत्रिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त ने अपना बचाव करने के लिए किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के बचाव के लिए श्री आर.के. शर्मा, अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था। श्री आर.के. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थिति का ज्ञापन प्रस्तुत किया। दिनांक 26-7-2011 को, याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के समक्ष मुख्तारनामा के निष्पादन की अनुमति देने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया।

20. आपराधिक प्रकरण संख्या 8/2011 के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को उस गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था जो सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध जारी किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता उस अपराध से भली-भांति अवगत था जिसके

लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50, 50-क, 78, 80 और 81 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के उल्लंघन में थी। प्रकरण के तथ्य यह भी प्रकट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए कभी कोई आवेदन पेश नहीं किया।

21. याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष या सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए बहुत आसानी से आवेदन पेश कर सकता था। जब उसके पास एक प्रभावी और प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, तो रिमांड के वैध आदेश के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करना उचित नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क पोषणीय नहीं है और याचिकाकर्ता के पक्ष में तथा उत्तरदाताओं के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती है।

22. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किए गए सभी न्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया है, तथापि, हमने पाया कि वे वर्तमान याचिका में प्रस्तुत तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं हैं।

23. उपरोक्त कारणों से और जिन न्यायदृष्टांतों पर अब्लम्बन लिया गया है, उनमें निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए, यह निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त की जाती है। आपराधिक प्रकरण संख्या 8/2011 के अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Malay Jain